



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 13, 2000/ज्येष्ठ 23, 1922

No. 331]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 13, 2000/JYAISTHA 23, 1922

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(नौवहन विभाग)

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2000

सा.का.नि. 538(अ).—केन्द्र सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा कांडला पत्तन के न्यासी मंडल में गुजरात चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री गिरिश पी. दानी को अधिसूचित करती है और भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सा. का. नि. संख्या 489(अ) दिनांक 24-5-2000 में निम्नलिखित जोड़ती है।

2. उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

“17 श्री गिरिश पी. दानी — गुजरात चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए।”

[सं. पी. टी-18011/6/99-पी टी]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Department of Shipping)

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2000

G.S.R. 538(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby notify Shri Girish P. Dani to represent Gujarat Chamber of Commerce & Industry in the Board of Trustees for the Kandla Port Trust and makes the following addition in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) G.S.R. No. 489(E) dated 24-5-2000.

2. In the said notification, the following serial numbers and entry shall be inserted namely :—

“17. Shri Girish P. Dani — Representing the Gujarat Chamber of Commerce & Industry.”

[No. PT-18011/6/99-PT]

K. V. RAO, Jt. Secy.

